न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
प्रशासन गांवो के संग अभियान—2021, शिविर— धाकड़ी
पीठासीन अधिकारी:— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना—पत्र संख्या :— 56 / 2021

प्रार्थीगण:—	**बनाम**	**अप्रार्थी:—**
1. हीरालाल पुत्र भीयाराम 2. सत्यनारायण पुत्र भीयाराम 3. रूपचन्द पुत्र भीयाराम 4. रतनी व्यास पुत्री भीयाराम पत्नी सुखदेव 5. मैना देवी पुत्री भीयाराम पत्नी कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासीगण खारीया नींव, तहसील सोजत जिला पाली (राज0) हाल निवासी इन्दौर मध्यप्रदेश		सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला—पाली।

<u>राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थिति:—

1. **श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।**
2. **अप्रार्थी तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।**

उप खण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

—: निर्णय :— **दिनांक —14.10.2021**

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व विविध प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम धाकड़ी पटवार हल्का धाकड़ी भू अभिलेख क्षेत्र सुरायता तहसील सोजत जिला पाली में वर्तमान खाता नम्बर 252 के खसरा नम्बर 2125 रकबा 2.2933 हैक्टर की कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित है, जो कृषि भूमि जाव निम्बड़िया से जानी व पहिचानी जाती है। उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण की माता नर्बदा देवी का नाम इन्द्राज सुदा है जिनका स्वर्गवास दिनांक 12/07/2019 हो चुका है तथा प्रार्थीगण के पिता भीयाराम पुत्र मगनीराम का स्वर्गवास दिनांक 04/01/1987 को हो चुका है। जिनके उतराधिकारी वारिसान प्रार्थीगण ही है इनके अलावा कोई अन्य उतराधिकारी वारिसान नहीं है। प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 का उपरोक्त आराजीयात में 1/8—1/8—1/8 हक हिस्सा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राजसुदा है तथा उक्त भूमि के रेकर्ड में प्रार्थीगण की माता नर्बदा देवी का 1/8 हक हिस्सा दर्ज सुदा है। जिनका स्वर्गवास हो जाने से उक्त 1/8 हक हिस्से में प्रत्येक प्रार्थीगण का 1/8 का 1/5 यानि प्रत्येक प्रार्थीगण का 1/40 वां हक हिस्सा खातेदारी हक हकूक का निहित है। इसी प्रकार ग्राम धाकड़ी पटवार हल्का धाकड़ी के वर्तमान खाता नंबर 704 के खसरा नंबर 2124 रकबा 0.0600 हैक्टर गै.मु.बेरा निम्बड़ीया की प्रार्थीगण एवं अन्य सह खातेदारान की आयी हुई स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि को प्रार्थना पत्र में वादस्थ कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। प्रार्थना पत्र में वर्णित वादस्थ आराजीयात की कृषि भूमि प्रार्थीगण तमाम की पैतृक, पुश्तैनी विरासत में प्राप्त कृषि भूमि है, जो कृषि भूमि

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

प्रार्थीगण के पिता भीयाराम वल्द मगनीराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज सुदा थी। उपरोक्त कृषि भूमि के पर्चा लगान संख्या 101 के अनुसार उपरोक्त कृषि भूमि में पूर्व में प्रार्थीगण के पिता भीयाराम वल्द मगनीराम का 1/2 हक हिस्सा इन्द्राज सुदा था तथा इसी प्रकार शेष 1/2 हक हिस्सा प्रार्थीगण के सगे काका भोलाराम का इन्द्राजसुदा था। जो कि पर्चा लगान, मिसल बन्दोबस्त अवधि संवत् 2033 से 2052 से बखुबी स्पष्ट है। सैटलमेंट पश्चात उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी संवत् 2055 से 2058 में प्रार्थीगण के पिता भीयाराम का स्वर्गवास होने के पश्चात् उनके विधिक वारिसान प्रार्थीगण के नाम इन्द्राज के वक्त राजस्व कर्मचारीयों के द्वारा पेन ऑफ स्लिफ से सद्भविक दर्ज न कर भीकाराम त्रुटिवश इन्द्राज कर दिया। जबकि प्रार्थीगण के पिता का सही एवं दस्तावेजी नाम भीयाराम ही है भीकाराम नाम के प्रार्थीगण के पिता के कोई दस्तावेजात नहीं है। जबकि प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक दस्तावेजी नाम भीयाराम ही है। इसलिये राजस्व कर्मचारीयो के द्वारा राजस्व रेकर्ड में सैटलमेन्ट पश्चात् वक्त इन्द्राज भीकाराम दर्ज करने की भूल की है। बल्कि प्रार्थीगण पिता के स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम खारिया नींव के खसरा नंबर 928, 1083, 1132, 1290, 1291, 1300/1703 कुल खसरा 06 कुल रकबा 8.4700 हैक्टर किस्म बा0अ0 की कृषि भूमि भीयाराम नाम से ही स्थित थी। जिस कृषि भूमि में भी राजस्व कर्मचारीयों के द्वारा भीयाराम के स्वर्गवास के पश्चात् प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। जिस वक्त प्रार्थीगण की वल्दीयत में प्रार्थीगण के पिता का सही एवं दस्तावेजी नाम भीयाराम ही इन्द्राज किया गया तथा प्रार्थीगण के पिता भीयाराम के नगर निगम इन्दौर द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया। इसी प्रकार प्रार्थीगण की माता नर्बदा बाई का नगर निगम इन्दौर के द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया जिसमें भी प्रार्थीगण के पिता का नाम भीयाराम ही अंकित सुदा है। इसी प्रकार प्रार्थीगण के आधार कार्ड व इन्दौर में फ्लैट की खरीदसुदा बेचान रजिस्ट्री व अन्य दस्तावेजात पेन कार्ड, लाईट बिल एवं अन्य दस्तावेजात में वल्दीयत में भीयाराम अंकित है। राजस्व कर्मचारियों राजस्व रेकर्ड जमांबदी में सैटलमेंट पश्चात् भीयाराम के स्वर्गवास के पश्चात् प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। जिसमें राजस्व कर्मचारीयों द्वारा प्रार्थीगण की वल्दीयत में भीयाराम के स्थान पर भीकाराम त्रुटिवश दर्ज कर दिया गया। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को राजस्व रेकर्ड के दस्तावेजात की जानकारी के अभाव में पूर्व में नहीं हो सकी। चूंकि प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 अपने व्यवसायिक कार्य से इन्दौर में ही व प्रार्थीगण संख्या 4 व 5 अपने ससुराल इन्दौर में निवास करने से उक्त त्रुटि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही करवा सके तथा दिनांक 12/07/2019 को प्रार्थीगण की माता नर्बदा देवी का स्वर्गवास होने जाने से वर्तमान में प्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा अपने पैतृक गांव दिसम्बर 2020 में आकर सम्बन्धित पटवारी हल्का से फौतेदगी नामान्तरकरण की कार्यवाही हेतु संपर्क किया। जिस पर सम्बन्धित पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थीगण की माता नर्बदा देवी एवं प्रार्थीगण की वल्दियत में भीयाराम दर्ज नहीं होकर भीकाराम दर्ज होने की जानकारी दी तथा उक्त प्रार्थीगण के पिता का नाम भीयाराम दर्ज न होकर भीकाराम दर्ज होने से कार्यवाही करने से इंकार करने पर प्रार्थीगण को सर्वप्रथम जानकारी हुई कि उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि के

उप खण्ड अधिकारी

खसरा नंबर 2124 एवं 2125 में सैटलमेन्ट पश्चात् राजस्व कर्मचारीयों द्वारा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के पिता भीयाराम का नाम दर्ज न कर भीकाराम त्रुटिवश दर्ज कर दिया। जिस पर प्रार्थीगण के द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि के समस्त राजस्व रेकर्ड की वर्तमान जमाबंदी एवं अन्य दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने पर प्रार्थीगण को जानकारी हुई कि वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में सम्बन्धित कर्मचारी के द्वारा प्रार्थीगण के पिता वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम भीयाराम दर्ज न कर भीकाराम पैन ऑफ मिसटेक, सद्भाविक त्रुटि से दर्ज कर दिया गया, जो गलत है। जिसे प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये दुरस्त करवाने के अधिकारी है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण की वल्दीयत भीकाराम के स्थान पर भीयाराम नाम दुरस्त किये जाने से राजस्व रेकर्ड के किसी अन्य सह खातेदारान पर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही किसी के खातेदारी अधिकार पर प्रभाव पड़ेगा तथा अन्य सह खातेदारान का उक्त दुरस्त किये जाने से सम्बन्धित बतौर सहमति शपथपत्र साथ संलग्न है। प्रार्थीगण की वल्दीयत भीयाराम के स्थान पर भीकाराम दर्ज हो जाने से प्रार्थीगण को कई सरकारी, अर्द्धसरकारी विभाग में प्राप्त योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है व अन्य लाभो से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिये वादग्रस्त कृषि भूमि के वर्तमान खसरा संख्या 2124 व 2125 में प्रार्थीगण की वल्दीय भीकाराम के स्थान पर भीयाराम दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। उक्त राजस्व रेकर्ड में दुरस्ती के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा श्रीमान तहसीलदार सोजत के कार्यालय में भी निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा उक्त दुरस्ती श्रीमान के न्यायालय क्षेत्राधिकार का होने से दुरस्त नहीं किया गया। इसलिये उक्त आशय का प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वादस्थ कृषि भूमि ग्राम धाकड़ी तहसील सोजत में स्थित होने से यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है, नियमानुसार न्याय शुल्क पेश किया है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0भू0राज0 अधिनियम, 1956 मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सरहद मौजा धाकड़ी के खसरा संख्या 2125 रकबा 2.2933 हैक्टर व खसरा नंबर 2124 में प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की वल्दीयत भीकाराम के स्थान पर भीयाराम दुरस्त किये जाने तथा सरहद मौजा धाकड़ी के खसरा नंबर 2125 रकबा 2.2933 हैक्टर की भूमि में प्रार्थीगण की माता नर्बदा देवी के स्वर्गवास हो जाने से उसके 1/8 हक हिस्से में प्रार्थीगण तमाम का नाम दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरूस्ती किये जाने की ईशतदुआ की है। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया।

पत्रावली आज राज्य सरकार द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कोर्ट केम्प धाकडी पर आज पेश हुई। अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत आज उपस्थित आए जबाब प्रा0 पत्र पेश करना नहीं चाहने पर जबाब बन्द किया गया। तहसीलदार, सोजत ने पटवारी हल्का धाकड़ी से विवादग्रस्त भूमि से संबंध राजस्व रिकॉर्ड व मौका रिपोर्ट चाही गयी। तहसीलदार सोजत ने पत्रांक/राजस्व/2021/4162 दिनांक–14/10/2021 में पटवारी धाकड़ी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, के अनुसार मौजा धाकड़ी के खसरा नं. 2124 व 2125 के वर्तमान

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला पाली) राज

राजस्व रिकॉर्ड सम्वत् 2075–2078 में भीवाराम फौत के स्थान पर नर्बदा पत्नि भीवाराम, रूपचंद सत्यनारायण हीरालाल पुत्र भीकाराम दर्ज है। पर्चा लगान में भीवाराम वल्द मगनीराम 1/2 दर्ज है। जमाबंदी सम्वत् 2055–2058 में इनकी वल्दीयत में भीकाराम ही दर्ज है। मिसल बदोबस्त 2033–2052 में भीवाराम पुत्र मगनीराम दर्ज है। पूर्व रिकॉर्ड अनुसार भीकाराम के स्थान पर भीवाराम करवाना चाहता है, रिकॉर्ड अनुसार कथन सत्य है। राजस्व रिकॉर्ड रिपोर्ट तहसीलदार सोजत एवं पटवारी हल्का शामिल मिसल की गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रा0 पत्र में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा धाकड़ी के खसरा संख्या 2125 रकबा 2.2933 हैक्टर, खसरा नंबर 2124 में प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की वल्दीयत भीकाराम के स्थान पर भीयाराम दुरस्त किये जाने एवं ग्राम धाकड़ी के खसरा नंबर 2125 रकबा 2.2933 हैक्टर की भूमि से प्रार्थीगण की माता नर्बदा देवी के स्वर्गवास हो जाने से उसके 1/8 हक हिस्से में प्रार्थीगण तमाम का नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर उपस्थित तहसीलदार/लैण्ड होल्डर/सोजत को कोई आपति नही होना बहस के दौरान व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात, जबाब प्रा0 पत्र साक्ष्य सबूतों बतौर प्रस्तुत शपथ पत्रो एवं तत्कालिन मिशल बदोबस्त राजस्व रिकर्ड, अन्य भूमि के राजस्व रिकर्ड, भीयाराम के मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रार्थी हीरालाल के आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं विद्युत बिल आदि दस्तावेजात तथा उक्त विवादित भूमि से सम्बद्ध प्रा0 पत्र में वर्णित उक्त तथ्यों की ताईद में प्रस्तुत सहखातेदारान पारसमल के तस्दीक सुदा शपथ पत्रों मय उक्त दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस उभय पक्षों पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्त विवादित सरहद मौजा धाकड़ी के खसरा संख्या 2125 रकबा 2.2933 हैक्टर, खसरा नंबर 2124 में प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की वल्दीयत भीकाराम के स्थान पर भीयाराम दुरस्त किये जाने एवं ग्राम धाकड़ी के खसरा नंबर 2125 रकबा 2.2933 हैक्टर की भूमि में प्रार्थीगण की माता नर्बदा देवी के स्वर्गवास हो जाने से उसके 1/8 हक हिस्से में विरासत का नामान्तरकरण विधिक प्रक्रिया अनुरूप दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते है।

–:आदेशः–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा धाकड़ी के खसरा संख्या 2125 रकबा 2.2933 हैक्टर, खसरा नंबर 2124 में प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की वल्दीयत भीकाराम के स्थान पर भीयाराम दुरस्त किये जाने एवं ग्राम धाकड़ी के खसरा नंबर 2125 रकबा 2.2933 हैक्टर की भूमि में प्रार्थीगण की माता नर्बदा देवी के स्वर्गवास हो जाने से उसके 1/8 हक हिस्से में विरासत का नामान्तरकरण विधिक

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

प्रक्रिया अनुरूप दर्ज किये जाने के विरासत नामान्तरकरण दर्ज करने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की छायाप्रति तहरीर के साथ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021
शिविर – धाकड़ी

यह निर्णय आज दिनांक 14.10.2021 को सरे ईजलास प्रशासन गांवो के संग अभियान/कोर्ट कैम्प, धाकड़ी में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021
शिविर – धाकड़ी